ISO 9001 : 2000
CERTIFIED

उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
विश्वेश्वरैया भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
पीबीएक्स संख्या- 2720671ए 2720665ए 2720670 फैक्स 2720846

संदर्भ संख्या- 81 /एसी/99/0001/टीसी/15 दिनांक- 21 अगस्त, 2015

समस्त अंचलीय महाप्रबन्धक,
उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0,
....
....

महोदय,

निगम की विभिन्न इकाईयों पर पी0आर0डब्लू/उप ठेकेदार/ठेकेदार अथवा फर्म से फारखती (No Claim Certificate) प्राप्त किये जाने हेतु पूर्व में भी कार्यालय ज्ञाप संख्या-683/एसी/99/0001/टीसी/15 दिनांक-04.03.15 एव कार्यालय ज्ञाप संख्या-3551/एसी0/99/0001/94.दिनांक-08.12.2014 के माध्यम से दिशा निर्देश निर्गत किये गये किन्तु संज्ञान में आया है कि उक्त निर्देशों का अनुपालन अधिकांश इकाईयों पर पूर्ण रूप से नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है एवं मुख्यालय के आदेशों की अवहेलना दर्शाता है। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में पी0आर0डब्लू0/उपठेकेदार/ठेकेदार अथवा फर्म को निगम द्वारा किए जा रहे भुगतान के साथ ही साथ संलग्न प्रारूप पर सम्बन्धित पी0आर0डब्लू0/उपठेकेदार/ठेकेदार अथवा फर्म से फारखती (No Claim Certificate) अवश्य प्राप्त कर लिया जाए तथा ऐसे फारखती (No Claim Certificate) पर सम्बन्धित इकाई के इकाई प्रभारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाये एवं इकाई के रिकार्ड में रखा जाये। फारखती (No Claim Certificate) के बिना किए गए भुगतान के सम्बन्ध में भविष्य में यदि कोई मॉग पी0आर0डब्लू0/उपठेकेदार/ठेकेदार अथवा फर्म द्वारा किया जाता है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित लेखा प्रभारी तथा इकाई प्रभारी का होगा।

यह भी उल्लेख करना है कि निगम के निदेशक मण्डल की दिनॉक 26/09/2014 को सम्पन्न हुई 170वीं बैठक के कार्यवृत्त की विषयवस्तु संख्या-16 द्वारा निर्देशित किया गया है कि पी0आर0डब्लू0 को द्वितीय वर्क आर्डर तब ही जारी किया जाए जब पूर्व मे जारी वर्क आर्डर का कार्य संतोषजनक रूप से सम्पादित किया गया हो। अतः इसका अनुपालन भी कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त निर्देशो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए तथा इस सम्बन्ध मे किसी भी रूप में शिथिलता न बरती जाए। यदि उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना पायी जाती है तो इसे गम्भीरता से लिया जाएगा।

संलग्नकः- यथोपरि

(आर0के0 गोयल)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महाप्रबन्धक (वाणिज्य) उ0प्र0रा0नि0नि0लि0, मुख्यालय, लखनऊ।
2. महाप्रबन्धक (यान्त्रिक) उ0प्र0रा0नि0नि0लि0, मुख्यालय, लखनऊ।
3. वित्तीय परामर्शदाता, उ0प्र0 रा0नि0नि0लि0, मुख्यालय, लखनऊ।
4. लेखानियन्त्रक उ0प्र0रा0नि0नि0लि0, मुख्यालय, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक कैम्प कार्यालय, उ0प्र0 रा0नि0नि0लि0, मुख्यालय लखनऊ।

प्रबन्ध निदेशक